

नियम

(ए) छत्तीसगढ़ आसवनी नियम 1995 :-

[धारा 62 (1),(2),(घ),(ङ),(च),(छ)और(ज)]

- संक्षिप्त नाम,विस्तार तथा प्रारंभ :-** छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 छत्तीसगढ़ मे स्परिट का विनिर्माण करने वाली सभी आसवनीयो पर दिनांक 01 अप्रैल 1995 से लागू है ।
- परिभाषाएं :-** इस नियम के अंतर्गत आसवनी से संबंधित 27 शब्दो की परिभाषा दी गई है जैसे— “ आसवनी अधिकारी ”— से अभिप्रेत है, ऐसी आसवनी का भारसाधक आबकारी अधिकारी जो सहायक जिला आबकारी अधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो । इत्यादि
- अनुज्ञप्ति की मंजूरी :-** आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन प्ररुप—डी (ए) मे प्रस्तुत करने पर सरकार के समाधान के पश्चात् प्ररुप—डी (बी) मे दो वर्ष के भीतर आसवनी का संनिर्माण पूर्ण करने की संसूचना दी जावेगी । संनिर्माण पूर्ण होने पर 5 वर्ष की कालावधि के लिये छः लाख रुपये की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर प्ररुप डी-1, मे स्परिट के विनिर्माण के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा ।
- विनिर्माण, कार्यकाल और नियंत्रण :-** वह क्षारक (बेस) जिससे स्परिट का विनिर्माण किया जाता हो, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जावेगा
भारत सरकार के केन्द्रीय शीरा नियंत्रण बोर्ड, छत्तीसगढ़ प्रदूषण निवारण मण्डल तथा आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विनिर्देशनो के अनुसार आसवनी आधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन नियमानुसार कार्य कर नियंत्रण रखा जावेगा
- अल्कोहल की प्राप्ति :-** छत्तीसगढ़ के आसवक ऐसे न्यूनतम किण्वन एवं आसवन दक्षता को बनाए रखने के लिये तथा जैसा कि इन नियमो के अधीन विहित है शीरा या किसी अन्य क्षारक, जिसका अल्कोहल उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है से ऐसा न्यूनतम अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे
- स्परिट का प्रदाय, अंतर की मात्रा तथा छीजन की अनुज्ञेय परिसीमाएं :-**
ऐसे अंतरालो पर तथा ऐसी रीति मे जैसा कि आबाकारी आयुक्त निर्देश दे, आसवनी और भंडागार के स्टॉक का लेखा मिलान, किया जाएगा, तथा आसवनी अधिकारी द्वारा विहित प्ररुप मे एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा
- अनुज्ञप्तिधारी ऐसे समस्त सामान्य या विशेष आदेशो से आबद्ध होगा जो कि**
आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं
- शास्तियाँ :-** अधिनियम के उपबंधो, अनुज्ञप्ति की शर्तो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और जहां इन नियमो मे किसी अन्य शास्ति के लिए अभिव्यक्त, रूप से उपबंध किया गया हो उसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त इन नियमो या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए इन नियमो या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिए 5,00,000/- से अनधिक तथा पुनरावृत्ति होने पर 10,00,000/- से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेंगे ।
- निरसन :-** नियमो के तत्स्थानी समस्त नियम, जो इन नियमो के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त है इन नियमो द्वारा आवेष्टित विषयो के संबंध मे एतद्द्वारा निरस्त किए जाते है ।

